

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 472]

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 7, 2018/माघ 18, 1939

No. 472]

NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 7, 2018/MAGHA 18, 1939

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

(कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 फरवरी, 2018

का. आ. 546(अ).—नारियल विकास बोर्ड नियम 1981 का नियम 4 के साथ पठित नारियल विकास बोर्ड अधिनियम, 1979 (1979 का 5) की धारा 4 की उप धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा नारियल विकास बोर्ड, कोची के सदस्यों के रूप में निम्नलिखित व्यक्तियों को शासकीय राजपत्र में यह अधिसूचना प्रकाशित होने की तारीख को और उससे लेकर तीन वर्ष से अधिक न होने वाली अवधि के लिए या संबंधित सदस्य उन्हें ऐसे नियुक्त श्रेणी या हित का प्रतिनिधित्व करना बंद करने तक, जो भी पहले हो, नियुक्त करती है और उक्त प्रयोजन के लिए भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-II, खंड 3, उप-खंड (ii) में सं. का. आ. 21(अ), दिनांक 12 जनवरी, 1981 के तहत प्रकाशित कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, (कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग) की भारत सरकार की असाधारण अधिसूचना का निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में "धारा 4 की उप धारा (4) के अनुच्छेद (ड) के अंतर्गत नियुक्त" के शीर्ष के अधीन क्रम संख्या 4ख और 4ग के लिए और उससे संबंधित प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित को रखा जाए, अर्थात्:

4ख. श्री नलिन कुमार कटील,

लोक सभा का

सदस्य

सांसद (लोक सभा),

प्रतिनिधित्व करते हुए

नं.201, अशोका अपार्टमेंट,

(दैवज्ञ कल्याण मंडप के पास)

मंगलौर, होइगेबेल रोड, अशोक नगर,

मंगलौर -575006, कर्नाटक

4ग. श्री तोट्टा नरसिंहम,

लोक सभा का

सदस्य

सांसद (लोकसभा),

प्रतिनिधित्व करते हुए

डी.नं.2-63, विक्रावरम (गौ)

किरलामपुरा(मं), जिला-पूर्व गोदावरी,

आन्ध्र प्रदेश- 533431

[फा. सं. 4-25/2017- एमआईडीएच(सीडीबी)]

दिनेश कुमार, संयुक्त सचिव (एमआईडीएच)

नोट :— नारियल विकास बोर्ड के गठन संबंधी मुख्य अधिसूचना का. आ. 21(अ.) दिनांक 12 जनवरी 1981 के तहत भारत के राजपत्र असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप खंड (ii) में प्रकाशित की गयी थी तथा अंतिम संशोधन अधिसूचना सं. का. आ. 3995(अ.) दिनांक 18 दिसंबर, 2017 के अनुसार किया गया था।

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE
(Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th February, 2018.

S.O. 546(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 4 of the Coconut Development Board Act, 1979 (5 of 1979), read with rule 4 of the Coconut Development Board Rules, 1981, the Central Government hereby appoints the following persons as members of the Coconut Development Board, Kochi, for a period not exceeding three years, on and from the date of publication of this notification in the Official Gazette, or till the concerned member ceases to represent the category or interest from which he has been so appointed, whichever is earlier, and for the said purpose makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Agriculture (Department of Agriculture and Co-operation) published in the Gazette of India, Extraordinary Part – II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 21(E), dated the 12th January, 1981, namely:-

In the said notification, under the heading “Appointed under clause (e) of sub-section (4) of Section 4”, for serial numbers 4B and 4C and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:-

- | | | |
|--|---|-----------------|
| <p>“ 4B. Shri Nalin Kumar Kateel,
Member of Parliament (Lok Sabha),
No. 201, Ashoka Apartment,
(Near Daiwajna Kalyana Mantapa),
Mangalore, Hoigebail Road, Ashok Nagar,
Mangalore – 575006, Karnataka.</p> | <p>To represent the
House of People</p> | <p>Member”</p> |
| <p>4C. Shri Thota Narasimham,
Member of Parliament (Lok Sabha),
D.No.-2-63, Vecravaram (V), Kirlampuda (M)
Distt-East Godavari, Andhra Pradesh- 533431</p> | <p>To represent the
House of People</p> | <p>Member”.</p> |

[F. No. 4-25/2017-MIDH(CDB)]

DINESH KUMAR, Jt. Secy. (MIDH)

Note:— The principal notification constituting the Coconut Development Board was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), vide notification number S.O. 21 (E), dated the 12th January, 1981 and was last amended vide notification number S.O.3995 (E), dated the 18th December, 2017.